पत्रांक – 632 दिनांक – 06-08-2025
सेवा में, शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक
ऑफ इंडिया, Deoghar

अनुसूची २१—प्रपत्र सं० ११३।

संपत्ति - अवभार - प्रमाण - पत्र

प्रमाणक सं० - 431 - - 2025 | आवेदन सं० [illegible] 02-08-2025 - - २० ।

चूंकि श्री (For Reena singh) ने मेरे पास आवेदन किया कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध में निबन्धित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही १ में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 01-01-2011 से ता० आज तक 2025 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों और अवभारों का पता चला :—

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज का प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृ०
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	Mouza-Salonataren Jamabandi no-20/3423 - Plot no-T.P. P.No-311 Area-3202 Sqft Thana no.-263							

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) १ बधक-पत्र की दशा में, ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बश कि इनके बारे में उल्लेख हो।

२ पट्टे की दशा में पट की अवधि और लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करनेवाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है ।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :—

(हस्ताक्षर) :— [signature]

(पदनाम) :— लिपिक

तलाशी की सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर) :— A.K. Chaudhary

(पदनाम) :— Clerk

कार्यालय जिला निबंधन कार्यालय देवघर

तारीख

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
06/08/2025

टिप्पणी (१)–इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखायें गये है, वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है । यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसा दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्सन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे ।

(२) निबन्धन अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति वहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियां देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी । विहित फीस का भुगतान करने पर वहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी ।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरकस सावधानी से की है । फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा ।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले से आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की हैं और चूंकि उसके द्वार ढूढे गये गये संव्यवहारों और अवभारों का सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र मे दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढूढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो ।

पत्रांक - 619 दिनांक - 31-07-2025
सेवा में, शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक
ऑफ इंडिया, देवघर

अनुसूची २१--प्रपत्र सं० २१३।

संपत्ति - अवभार - प्रमाण - पत्र

प्रमाणक सं० 425 - 2025 आवेदन सं० [illegible] / 30-07-2025

चूंकि श्री/ Smt - Sumitra Devi ने मेरे पास आवेदन किया कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध में निबन्धित संव्यवहारो और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही १ मे और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 01-01-2011 से ता० आज तक 2025 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला :—

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज का प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृ०
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	Mouza-Salonatand T.P.P. No.-311 - Jamabandi No-20/3423 Area-7351 - Decimal							

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) १ बंधक-पत्र की दशा में, ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बश कि इनके बारे में उल्लेख हो।

२ पट्टे की दशा में पट की अवधि और लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करनेवाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :—

(हस्ताक्षर) :—

(पदनाम) :— लिपिक

तलाशी की सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर) :— A-K-chaudhary
lipik

(पदनाम) :—

कार्यालय जिला निबंधन कार्यालय देवघर

तारीख

जिला अवर निबंधक देवघर का मुहर

31/1/25

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

31/01/2025

टिप्पणी (१)—इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है, वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसा दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्सन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(२) निबन्धन अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियां देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूंकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरकस सावधानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्त्तमान मामले से आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा ढूंढे गये गये संव्यवहारों और अवभारों का सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढूंढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।